संख्या: 27/2018/554/छप्पन-2018-08/2013

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 21 मार्च, 2018

विषय: चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास/विस्तार हेतु भूमि क्रय किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 964/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 19 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 16 मार्च, 2018 को लिए गए निर्णयानुसार 24.346 हैक्टेयर (60 एकड़) भूमि क्रय किए जाने हेतु आगणित मूल्य रूपए 4,79,65,00,325/- (रूपए चार अरब उन्यासी करोड़ पैंसठ लाख तीन सौ पच्चीस मात्र) पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3- उक्त बैठक दिनांक 16 मार्च, 2018 में भूमि क्रय किए जाने हेतु आगणित लागत के वहन हेतु यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा monetization हेतु चिन्हित अपनी भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जाएगा तथा इस भूमि की आंकलित वैल्यू लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे जिलाधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध कराई जाएगी। अवशेष धनराशि का भुगतान नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा विभागीय बजट से किया जाएगा।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र दिनांक 19 मार्च, 2018 में इंगित किया गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि की वैल्यू लगभग रूपए 2,40,00,00,000/- आगणित की गई है यह धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे जिलाधिकारी, लखनऊ को भूमि क्रय करने हेतु उपलब्ध कराई जाएगी तथा अवशेष रूपए 2,39,65,00,325/- की धनराशि का भुगतान नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को किया जाना है। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय

2/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हवाई अड्डे के विकास/विस्तार हेतु भूमि क्रय के लिए धनराशि रूपए 56,79,90,446/- (रूपए छप्पन करोड़ उन्यासी लाख नब्बे हजार चार सौ छियालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास/विस्तार हेतु चिन्हित की गई भूमि के क्रय हेतु धनराशि रूपए 2,39,65,00,325/- (रूपए दो अरब उन्तालिस करोड़ पैंसठ हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस परियोजना पर रूपए 56,79,90,446/- (रूपए छप्पन करोड़ उन्यासी लाख नब्बे हजार चार सौ छियालिस मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि रूपए 56,79,90,446/- (रूपए छप्पन करोड़ उन्यासी लाख नब्बे हजार चार सौ छियालिस मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, लखनऊ के निर्वतन पर रखा जायेगा और जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

7- कृपया भूमि के क्रय हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, लखनऊ से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयवद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

8- जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

9- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य

3/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-252/दस-2018, दिनांक 21 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

संख्याः 27/2018/554(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(7) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(8) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्यासि अधिकारी, लखनऊ।
(9) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13 ।
(11) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in